



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-30072020-220778
CG-DL-E-30072020-220778

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2194]
No. 2194]

नई दिल्ली, बुधवार, जुलाई 29, 2020/श्रावण 7, 1942
NEW DELHI, WEDNESDAY, JULY 29, 2020/SHRAVANA 7, 1942

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 जुलाई, 2020

का.आ. 2485(अ).— केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 780 (अ), तारीख 19 फरवरी 2020 जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशित की गई थी, द्वारा महाराष्ट्र राज्य के सतारा जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 965 के कि.मी. 117 से कि.मी.176 (राजुरी ते बालू पाटलाचीवाड़ी तक) के राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण (चोड़ाकरने बाइपासो सहित चार/ छह लेन का बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए उस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी ;

और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3क की उपधारा (3) के अधीन तारीख 3 जून 2020 को "सकाळ" (मराठी) और "

द इंडियन एक्सप्रेस" (अंग्रेजी) दोनों में प्रकाशित किया गया था ;

और आक्षेप प्राप्त हुए थे और सक्षम प्राधिकारी ने उन पर विचार कर लिया है और आक्षेपों को अननुज्ञात कर दिया है ;

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है ;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए ;

और अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर, उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी ।

अनुसूची

महाराष्ट्र राज्य के सातारा जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 965 के कि.मी. 117 से कि.मी.176 (राजुरी ते बालू पाटलाचीवाडी तक) राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण (चोड़ाकरने बाइपासो सहित चार/ छह लेन का बनाने, आदि) के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना सहित अथवा संरचना रहित भूमि का संक्षिप्त विवरण।

राज्य का नाम: महाराष्ट्र		जिले का नाम: सातारा			
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूस्वामी/हितबद्ध व्यक्तियों का नाम
1	2	3	4	5	6
	तालुक का नाम: फलटण				
	गांव का नाम: अलगुडेवाडी				
1	35P	निजी	कृषि	0.0452	सूर्यकांत नारायण जाधव ,दत्तात्रय नारायण जाधव ,यशवंत सिताराम जाधव, विष्णु सिताराम जाधव महादेव विष्णु जाधव , विवेक यशवंत जाधव (३५ पै)
2	35P	निजी	कृषि	0.0114	विवेक यशवंत जाधव (३५ पै)
3	35P	निजी	कृषि	0.979	श्रीराम सहकारी साखर कारखाना ली.अध्यक्षा व् कार्यकारी संचालक (३५ पै)
4	39P	निजी	कृषि	0.1266	शरद धोंडीराम भोंगळे वहीवटदार सुरेश धोंडीराम भोंगळे (३९ पै)

5	39P	निजी	कृषि	0.4021	सुरेश धोंडीराम भोंगळे (३९ पै)
गांव का नाम: वाजेगांव					
6	5P	निजी	कृषि	0.0396	आनंदा राव सुतार (५ पै)
7	7P	निजी	कृषि	0.27	भगवान गुलाबराव ढमाळ (७ पै)
8	8P	निजी	कृषि	0.0613	रविंद्र गुलाबराव ढमाळ (८ पै)
9	8P	निजी	कृषि	0.0433	माधव गुलाबराव ढमाळ (८ पै)
10	8P	निजी	कृषि	0.0183	भगवान गुलाबराव ढमाळ (८ पै)
			कुल	1.9968	

[फा. सं. NHAI/PIU/PUNE/PALAKHI MARG/LA/2017/3D]

राजेश गुप्ता, उप सचिव,

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS**NOTIFICATION**

New Delhi, the 28th July, 2020

S.O. 2485(E).--- Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways, S.O.780 (E) Date 19 February 2020, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) issued under sub-section (1) of section 3A of the National Highway Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intension to acquire the land specified in the Schedule annexed to the said notification for building (widening/four/Six -laning including bypasses etc.), maintenance, management and operation of National Highway No. 965, in the stretch of land from Km 117 to Km 176 (Rajuri - Balupatlachi wadi) Section in Satara district in the state of Maharashtra.

And whereas the substance of the said notification has been published in “Sakal” (Marathi) and “The Indian Express” (English) both dated 3 June 2020; under sub-section (3) of section 3A of the said Act;

And whereas objections have been received and the same have been considered and disallowed by the Competent Authority;

And whereas, in pursuance of sub-section (1) of section 3D of the said Act, the competent authority has submitted its report to the Central Government;

Now, therefore, upon receipt of the said report of the competent authority and in exercise of the powers conferred by the sub-section (1) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that the land specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose;

And further, in pursuance of sub-section (2) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the said Schedule shall vest absolutely in the Central Government, free from all encumbrances.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired, with or without structure, falling within the National Highway No. 965, in the stretch of land from Km 117 to Km 176 (Rajuri - Balupatlachi wadi) Section in Satara district in the state of Maharashtra

State: MAHARASHTRA District: Satara					
Sr. No.	Survey Number	Type of Land	Nature of Land	Area in Hectare	Name of the Land Owner/Interested Person Part Survey No.
1	2	3	4	5	6
	Taluk: Phaltan				
	Village: Alagudewadi				
1	35P	Private	Agri	0.0452	Suryakant Narayan Jadhav, Dattatry Narayan Jadhav Yashwant Sitaram Jadhav, Vishnu Sitaram Jadhav Vivek Yashwant Jadhav 35pai
2	35P	Private	Agri	0.0114	Vivek Yashwant Jadhav 35pai
3	35P	Private	Agri	0.979	Shriram Sahakari Sakhar Karkhana li Adhyaksha Karyakari Sanchalak 35pai
4	39P	Private	Agri	0.1266	Sharad Dhondiram Bhongale Vahivatdar Suresh Dhondiram Bhongale 39Pai
5	39P	Private	Agri	0.4021	Suresh Dhondiram Bhongale 39Pai
	Village: Vajegaon				
6	5P	Private	Agri	0.0396	Ananda Rav Sutar 5Pai
7	7P	Private	Agri	0.27	Bhagavan Gulabrav Dhamal 7Pai
8	8P	Private	Agri	0.0613	Ravindra Gulabrav Dhamal

					8Pai
9	8P	Private	Agri	0.0433	Madhav Gulabrav Dhamal 8Pai
10	8P	Private	Agri	0.0183	Bhagavan Gulabrav Dhamal 8Pai
			TOTAL	1.9968	

[F. NO. NHAI/PIU/PUNE/PALAKHI MARG/LA/2017/3D]

RAJESH GUPTA, Dy. Secy.